भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3470
उत्तर देने की तारीख 11.08.2025

अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना

3470. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश :
श्री इमरान मसूद :
श्री एम. के. राघवन :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच आदि क्षेत्रों में पहचान बनाने वाले वरिष्ठ/बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन देने के लिए पात्रता मानदंड और ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वरिष्ठ कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत सरकार को राज्य-वार तथा संघ-राज्यक्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से प्राप्त आवेदनों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई तथा उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकारों की, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले और केरल सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के वितरण में महत्वपूर्ण विलंब की जानकारी है और यदि हां, तो विलंब के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत आवेदनों और अस्वीकृत आवेदनों की, राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर महाराष्ट्र और केरल में, संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार को महाराष्ट्र के किसी संसद सदस्य से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(छ) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आजीविका कमाने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय 'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम' नामक एक स्कीम का संचालन करता है, जिसके तहत पात्र वयोवृद्ध कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता इन कलाकारों के लिए किसी प्रकार की पेंशन नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

i. आवेदक कलाकार ने अपनी सक्रिय आयु में कला, साहित्य आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या अभी भी योगदान दे रहा हो;
ii. आवेदक कलाकार की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए;
iii. आवेदक की वार्षिक आय 72,000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए;
iv. आवेदक कलाकार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500 रुपए प्रति माह की कलाकार पेंशन प्राप्त कर रही हो या आवेदक का कला संबंधी परिचय पत्र संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी), संस्कृति मंत्रालय द्वारा सत्यापित और अनुशंसित होना चाहिए; और
v. आवेदक कलाकार को संस्कृति मंत्रालय की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान 'वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम' के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रस्ताव			सहायता प्राप्त कलाकारों की संख्या	संवितरित राशि (लाख में)
	प्राप्त	अनुमोदित	अस्वीकृत		
2020-21	238	187	51	206	106.62
2021-22	1451	547	904	448	190.49
2022-23	1158	268	890	740	273.49
2023-24	1469	68	1401	1239	795.97
2024-25	1188	प्रक्रियाधीन		1392	541.19

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और केरल राज्यों सहित उक्त स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** पर संलग्न है। उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों का जिला-वार डेटा इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ): उक्त स्कीम के अंतर्गत चयनित कलाकारों को वित्तीय सहायता जारी किया जाना कतिपय अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कि वर्ष में एक बार डिजिटल आयु प्रमाणपत्र (डीएलसी), 5 वर्ष में एक बार वार्षिक आय प्रमाणपत्र, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कलाकार पेंशन, यदि कोई हो, की प्राप्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज जमा करने पर निर्भर

करता है। चयनित कलाकारों की ओर से अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर, जो वर्ष भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, शीघ्रता से वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

(ड.): पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग या इस मंत्रालय के अधीन जेडसीसी की सिफारिशें प्रस्तुत न करने और कलात्मक योग्यता के अभाव के कारण अपूर्ण पाए गए आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

(च): जी, हाँ। इस मंत्रालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के संसद सदस्यों से 35 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	कृत कार्रवाई	प्रस्तावों की संख्या
1.	प्रारंभिक जांच में अस्वीकृत प्रस्ताव	5
2.	विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले से अनुशंसित प्रस्ताव	5
3.	विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित नहीं किए गए प्रस्ताव	3
4	संसद सदस्यों के माध्यम से सूचित किए गए नए प्रस्ताव जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं	13
5	आगामी विशेषज्ञ समिति की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव	9
	कुल	**35**

(छ) इस स्कीम के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा हाल के वर्षों में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

(i) जून, 2022 से इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की राशि को 4000/- रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 6000/- रुपए प्रति माह कर दिया गया है;

(ii) अब प्रत्येक वर्ष आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब इसे पांच वर्षों में एक बार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;

(iii) विगत में, इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक कलाकार के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500/- रुपए प्रति माह की कलाकार पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य था। इस शर्त में छूट दे दी गई है और यदि आवेदक कलाकार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से कलाकार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है तो उस मामले में भी अब संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी)/संस्कृति मंत्रालय द्वारा उसके कलात्मक पूर्ववृत्त का सत्यापन और अनुशंसा करने का प्रावधान है;

(iv) चयनित कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता का सुचारू रूप से और समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 28.06.2023 को कैनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

*****

अनुलग्नक- I

'अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3470 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य	वर्ष में प्राप्त आवेदन				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	52	233	218	291	160
2	असम	3	4	2	0	0
3	बिहार	0	0	36	0	0
	छतीसगढ	0	0	0	0	1
4	दिल्ली	0	1	0	3	0
5	गोवा	0	0	0	507	74
6	गुजरात	0	0	0	0	1
7	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	1
8	झारखण्ड	0	0	1	0	1
9	हरियाणा	0	0	0	2	0
10	हिमाचल प्रदेश	4	3	1	2	2
11	कर्नाटक	136	190	176	250	173
12	केरल	22	28	79	14	6
13	मध्य प्रदेश	3	2	2	2	10
14	महाराष्ट्र	238	1451	1158	1469	1188
15	मणिपुर	12	0	3	1	0
16	नागालैंड	1	198	0	0	3
17	ओडिशा	584	2698	2127	1136	927
18	पुदुचेरी	0	0	0	1	0
19	पंजाब	0	0	0	1	6
20	राजस्थान	2	5	1	1	28
21	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	66	31	23	15	36
23	तेलंगाना	142	509	849	483	260
24	उत्तर प्रदेश	68	9	15	38	87
25	उत्तराखंड	1	0	0	1	1
26	पश्चिम बंगाल	1269	54	26	53	25
कुल		**2603**	**5416**	**4717**	**4270**	**2990**

अनुलग्नक-II

'अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3470 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष - 2020-21		वित्तीय वर्ष - 2021-22		वित्तीय वर्ष - 2022-23		वित्तीय वर्ष - 2023-24		वित्तीय वर्ष - 2024-25	
		संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5.1	29	72.29	89	84.66	148	153.3	191	115.90	177
2	असम	0.96	2	0.48	1	1.57	1	2.41	3	0.90	2
3	बिहार	-	-	-	-	-	-	15.47	14	4.62	7
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	5.87	8	4.92	10
5	हरियाणा	-	-	0.93	1	0.56	2	3.69	4	1.94	4
6	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	7.12	41
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	1
8	झारखण्ड	2.28	8	3	5	3.59	7	3.88	4	2.76	3
9	कर्नाटक	29.97	144	59.55	146	64.32	130	341.98	344	354.67	397
10	केरल	8.18	24	24.49	57	25.3	51	64.21	67	85.82	80
11	मध्य प्रदेश	2.44	6	5.04	12	3.86	6	6.95	7	14.95	13
12	महाराष्ट्र	106.62	206	190.49	448	273.49	740	795.97	1239	541.19	1392
13	मणिपुर	3.36	9	7.84	16	0.6	5	14.7	13	14.94	14
14	नगालैंड	0.48	1	0.92	2	0.12	1	3.28	2	1.08	2
15	ओडिशा	119.47	355	276.95	828	306.77	966	1063.4	1460	1,106.51	1995
16	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	1

17	राजस्थान	0.07	2	1.23	2	0.71	2	1.36	2	2.52	2
18	तमिलनाडु	0.87	6	15.49	22	14.6	21	46.96	41	36.61	34
19	तेलंगाना	53.2	86	217.29	342	268.16	489	274.94	293	207.07	309
20	त्रिपुरा	0.24	1	0.92	2	0.12	1	-	-	-	-
21	उत्तर प्रदेश।	5.13	9	13.08	46	15.46	58	67.24	82	80.46	109
22	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	2.43	2	4.83	4
23	पश्चिम बंगाल	5.09	37	12.31	32	11.71	27	28.53	35	20.37	39
	कुल	343.46	925	902.3	2051	1075.6	2655	2896.57	3811	2,609.77	4636
	एलआईसी के माध्यम से संवितरित	527.85	1075	639.87	978	783.58	996	0	0	0.00	0
	कुल योग	**871.31**	**2000**	**1542.17**	**3029**	**1859.18**	**3651**	**2896.57**	**3811**	**2,609.77**	**4636**

अनुलग्नक-III

'अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3470 के भाग (ङ.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष में स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन									
		2019-20		2020-21		2021-22		2021-22		2023-24	
		स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	आंध्र प्रदेश	35	142	34	18	91	142	33	185	38	253
2	असम	0	12	1	2	2	2	0	2	0	0
3	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0
4	दिल्ली	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0
5	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	133	374
6	गुजरात	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	3	0	3	0	1	2	0
11	कर्नाटक	49	296	114	22	3	187	23	153	21	229
12	केरल	12	33	21	1	8	20	9	70	1	13
13	मध्य प्रदेश	0	8	1	2	0	2	0	2	0	2
14	महाराष्ट्र	128	759	187	51	547	904	268	890	68	1401
15	मणिपुर	0	28	12	0	0	0	0	3	0	1
16	नागालैंड	0	859	1	0	0	198	0	0	0	0
17	ओडिशा	130	437	340	244	1260	1438	622	1505	32	1104
18	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	पंजाब	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0
20	राजस्थान	0	2	0	2	0	5	0	1	0	1
21	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	2	77	14	52	1	30	1	22	1	14
23	तेलंगाना	53	475	116	26	306	203	193	656	15	468

24	उत्तर प्रदेश	0	16	65	3	1	8	0	15	22	16
25	उत्तराखंड	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
26	पश्चिम बंगाल	0	2243	914	355	32	22	0	26	15	38
	कुल	**411**	**5396**	**1821**	**782**	**2251**	**3165**	**1150**	**3567**	**355**	**3915**